


फर्द अहकाम

(नियम 26)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां

जिला-बून्दी (राज.)

सुभन काश
वामान शमला

120/50/21

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
17/8/21	<p>बिच पत्र/ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RA Act द्वारा वकील श्री राजेश ठाकुर पेश किया गया। सरिस्ता रिपोर्ट का अपलोड किया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर वी जाकर प्रतिवादीगण/आपराधीगण को सुनवाई हेतु तलाब किया जाकर दि. 13.9.21 को पेश हो।</p>	
13/9/21	<p>पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत केम कोर्ट में दिनांक 16/11/21 को पेश हो।</p>	
11/16/21	<p>पत्रावली आज प्रशासन गांव के संग अभियान-2021 में अद्य प्राप्ति संशयित 22/2/22 में हुई। पत्रावली दिनांक 22/2/22 को पेश हो।</p>	
22/2/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अकारा/ अन्य सज्जकर्म में तथारीफ रखते हैं। पत्रावली दि. 30/5/22 को पेश हो।</p>	
15/4/22	<p>पत्रावली मूलवाद में वाद विद्रो किये जाने के प्रार्थना पत्र के साथ आज पेश हुई वकील द्वारा उपस्थित है। प्रह प्रह प्रह Not press किये जाने से खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली वाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।</p>	<p>मूलवाद विद्रो किये जाने से Not press करवाया है। वाजेर के (उपस्थित) 1</p> 

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)